राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :..1258 / 2016.. जिला : जयपुर

मैसर्स राजू पुत्र श्री राम नारायण वाहन चालक द्वारा विनायक ट्रेडर्स, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, प्रतिकरापवंचन,संभाग–तृतीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुनील शर्मा,सदस्य**	
09.06.2016	अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम ,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, संभाग–ततीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 76(9)के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.05.2016 को पारित करते शास्ति रू. 7,86,720 /– के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 7,86,720 /–पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त शास्ति राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। स्थगन के सम्बन्ध में उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने स्थगन हेतु राशि को स्थगित नही करने के सम्बन्ध में कोई भी कारण अंकित नहीं किया है । अतः अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रू. 7,86,720 /– के सम्बन्ध में निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्यात जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया । (सुनील शर्मा)	